


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.02.2019 द्वारा क्रम संख्या 164 पर अंकित कार्मिक श्री छीतरलाल सेन व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि किशनपुरा तकिया, कोटा का सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था।


उक्त आदेश में कार्मिक श्री सेन के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-17 के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2018 को ज्ञापन जारी होने के कारण विभागीय जांच बकाया रखते हुए सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था, में विभागीय जांच ने इस के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि0 जाँच/सी/11420/33/16-17/2019/29 दिनांक 04.06.19 द्वारा समाप्त (DROP) कर दिये जाने के कारण कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 13.02.19 में कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।  
शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/ राज विज्ञान/सेवानिवृत्ति/2017/115 दिनांक-23 /10/2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग .....।
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा .....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, .....।
5. संबंधित संस्था प्रधान.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर